I would, however, like to inform you that we are in touch with the tobacco growing area representatives, but this is the specific suggestion to consult the M.Ps. of those respective regions. We shall certainly consider it and by the end of the Session hopefully we shall invite all of them, positively by that time if they do not resign from Parliament.

वन संरक्षण

*149. डा० अबरार अहमद खान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वनों को लगातार काटा जा रहा है, उनको साफ किया जा रहा है, यदि हां, तो वनों को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने क्षेत्र में वन थे और इस समय कितने क्षेत्र में हैं तथा वन संरक्षण पर प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में राजस्थान में कितने क्षेत्र में वन थे और इस समय कितने क्षेत्र में हैं तथा राज्य में वन संरक्षण पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है और उसके क्या परिणाम रहे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमति ओरांव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनों को लगातार काटा जा रहा है । वनों को बचाने के लिये निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं:—

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है ;

2. वनेतर प्रयोजनों के लिये वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिये 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया । 1988 में इसमें संशोधन करके इसे और अधिक कठोर बनाया गया ।

3. वनों की सुरक्षा के लिये आधारभूत ढांचा तैयार करने हेतु राज्यों को सहायता के लिये एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रारम्भ की गई ।

4. वनों की सुरक्षा के लिये राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये ।

5. इमारती लकड़ी के आयात को उदार बनाया गया है तथा लकड़ी के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(ख) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार 1981–83 में देश में 642 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र था । इसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया । देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वनों के संरक्षण और विकास पर वार्षिक औसत व्यय लगभग 407 करोड़ रुपये है ।

(ग) उपग्रह प्रतिबिम्बिकी का प्रयोग करके भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1981–83 के वर्षों में राजस्थान में 12.3 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र था उसके बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया

गया । पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में वनों के संरक्षण और विकास पर प्रति वर्ष औसत व्यय लगभग 9.38 करोड़ रु० है ।

डा० अबरार अहमद खान : सभापति महोदय, आज जो देश में वनों का महत्व है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जो उत्तर दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 81 से 83 में देश में 642 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र था और राजस्थान के बारे में जो मैंने पूछा था उस पर है कि 81 से 83 के वर्षों में वहां 12.5 लाख हेक्टेयर वनाच्छादित क्षेत्र था । लेकिन 81 से 83 के बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और आज यह पता नहीं है कि 83 के बाद से लेकर आज तक कितने वन बढ़े, कितने क्षेत्र में वन ज्यादा लगे, जबकि 81 से 83 के बाद से लेकर आज तक मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितना पैसा वनों की बढ़ोतरी पर या वन लगाने पर खर्च किया गया । यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी राशि निकलेगी । इतनी बड़ी राशि खर्च कर दी गयी लेकिन इसके बावजूद हमें यह पता नहीं है कि उसका परिणाम क्या है, कितने क्षेत्र में वन बढ़े हैं और कितने क्षेत्र में 83 के बाद से अब तक वन लगाये गये । इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो वन 85 में थे, निश्चित रूप से व्यावहारिक रूप से देखा जाय तो वन बढ़े नहीं हैं बल्कि घटे हैं । मैं सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं, राजस्थान का रहने वाला हूं, मैंने जब से होश संभाला है और जिस तरह के वन देखे थे आज वे पहाड़ बिल्कुल सपाट मैदान के रूप में पड़े हुये हैं और इसमें वन अधिकारियों का पूरी तरह से लिप्त होना है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उन वन अधिकारियों के खिलाफ कम एक्शन लिया गया, कितने वन अधिकारियों को निलंबित किया गया और कितनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुमति श्रीरांव : यह सर्वेक्षण 1989 में हुआ है और इसकी रिपोर्ट नवम्बर या दिसम्बर में दे दी जायेगी ? दूसरा हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे वनों की जिस तरह से कटाई हुई है, चोरी की लकड़ियां... (व्यवधान) गयी हैं तो अफसरों को क्या सजा दी गयी है या कितने निलंबित किये गये हैं । ये आंकड़े हमारे पास नहीं हैं कि कितने निलम्बित किये गये लेकिन हमारी सरकार अपनी ओर से वनों की कटाई को भरपूर रोकने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से वनों... (व्यवधान) की कटाई जो अभी चल रही है उस पर रोकथाम जारी है उस तरह की कटाई को रोकने में हमारी सरकार ने काफी प्रगति की है ।

डा० अबरार अहमद खान : सभापति महोदय, मेरे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला । मैंने यह जानना चाहा था कि 1983 के बाद से अब तक कितना पैसा वनों पर खर्च किया गया और कितने क्षेत्र में 1983 के बाद से लेकर अब तक वन और लगाये गये, तो उसके बारे में माननीया मंत्री जी ने कहा कि एक सर्वेक्षण किया गया है उसके परिणाम बाद में आयेंगे लेकिन 7 वर्ष बीच में बीत गये उसमें उसके पहले क्या स्थिति है ? दूसरा, मैंने वास्तविक स्थिति पूछी कि कितने अधिकारियों को इस संबंध में निलंबित किया गया है या एक्शन चल रहा है, बिल्कुल गोलमोल बात है, मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा और अपने प्रश्न का उत्तर चाहूंगा ?

श्रीमती सुमति श्रीरांव : इसमें जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है उसका हम लोगों ने आपको जवाब दे दिया है कि किस तरह से वनों की कटाई चल रही है और कितने इसमें खत्म आये हैं इसका उत्तर हमारे माननीय सदस्य को मालूम है । जहां तक यह कि वनों की कटाई के बाद इसमें जो हम लोग सरकार जो कर रही है वनों की सुरक्षा के लिये और उसको पूरा करने के लिये यह वनों को सुरक्षा

के लिये आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिये राज्यों की सहायता के लिये केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम बनाई गई है, वनों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकारों को क्षेत्रों के विकास के लिये समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं। इस तरह से हमारी तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से यह भरपूर कोशिश की जा रही है और इसमें आपके जो 1981-1983 के बाद 7वीं योजना के 100 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो पेड़ लगे हैं पेड़ लगाने पर जो पैसे खर्च हुये हैं करीब 2500 करोड़ रुपये खर्च हुये हैं।

डा० अबरार अहमद खान : दूसरा, सर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जहां से वनों की कटाई होती है वनों से बिल्कुल सटे हुये ग्राम या ढाणियां होती हैं वहां के निवासी उन वनों की कटाई करते हैं, तो मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन ढाणी और गांवों के निवासियों के लिये कोई वैकल्पिक रोजगार की कोई योजना है ? उसके साथ-साथ जलाने के लिये वह खास तौर से वनों को काटते हैं तो क्या ऐसे ढाणी और गांवों को एड उपलब्ध कराने के लिये विभाग द्वारा कोई सबसिडी दी जा रही है या देने का विचार है जिससे कि वनों की कटाई रुक सके ? एक इसी संदर्भ में उन गांवों और ढाणी वालों को जो खास नुकसान होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी जंगली जानवर को मार देता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ केस भी बनता है, सजा भी मिलती है, लेकिन वह जानवर उनके पास में रहने वाले गांव वालों की कृषि को नष्ट कर देता है तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता ? अगर वह किसी आदमी को मार देता है तो उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता, इसका भी मैं उत्तर चाहूंगा ?

श्रीमती सुमति ओरांव : वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू किया गया है यहां हमारे माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि गांवों के नजदीक वनों की कटाई हो रही है उसमें हमारे गांव की जो जनता है उसके लिए भी सबसिडी के लिए भी पूछा है यह मुआवजा उनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है जो जानवर मार दिए जाते हैं या जो जानवर आदमी को मारता है, तो आदमी जब जानवर को मारता है तब सरकार उसके लिए भी यह बंधन एक निर्धारित किया है कि वनों के जो जानवर हैं उनको नहीं मारा जाए, लेकिन जब आदमी को जानवर मारता है तो उसके लिए मुआवजा निर्धारित किया गया है और सबसिडी जो है आपका लकड़ी के जो आयात वगैरह जो किए जा रहे हैं वहां पर पशुओं की रोकथाम के लिए तो आपको बताया गया है कि रोकथाम किया जा रहा है उनके जलाने के लिए और उनकी सुविधा के लिए हमारे गांवों में जो लोग रहते हैं उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है।

SHRI SUNIL BASU RAY: Sir, my question is, what is the total area denuded so far and what effect the Acts had on regaining those areas under forest cover?

The second part of the question is, there is no relation between the two figures given in the reply. The area referred to in the reply relates to 1981—83, whereas the expenditure relates to the last three years—which I take it are 1986, 1987 and 1988. So we cannot make out whether the expenditure is really helping afforestation or whether it is helping denudation of forests. The third part of my question is, due to industrialization, particularly in the mining areas—coal mining, iron ore mining and such other areas—deforestation has taken place and is taking place there. I would like to know whether the areas that have been deforested would be reforested and new forest areas would be developed there. As a result of diversification in the mining settlement areas, the environment there has become

totally unbalanced and its adverse effects on human health in that area are growing. So, the ecological balance in those areas has been lost and I would like to know whether the Ministry would take any steps to regain that balance. These are my questions.

MR. CHAIRMAN: You say, "This is my supplementary." You can't put four questions.

SHRI SUNIL BASU RAY: I have put it as a supplementary, Sir.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): Yes—as a, b, c, d. Sir, I just want to tell this House that there are many causes for the denudation of forests and for the decrease in the forest cover. Because of the developmental process, the Grow More Food scheme and different other projects, a lot of diversion has taken place and the biotic pressure that has increased in the human and cattle populations has resulted in the denudation of the forest areas. We are taking steps through different legislative measures to save the forests, to conserve the forests as far as possible but this biotic pressure—the needs of the people for fuel wood, fodder, timber and other things—is coming in our way of conservation in a big way. We have taken certain steps as far as diversion of forest land for different developmental projects is concerned. Before 1980 the forest area which was diverted was 1.5 lakh acres per year. After the Forest Conservation Act came into force, the figure has been brought down to 15,000/- acres only. We have also announced a new Forest Policy wherein we have emphasized on the conservation aspect. As far as the question with regard to the mining areas is concerned, while giving clearance or while renewing the lease deeds for mining projects, we insist that the mining areas shall be afforested and the ecology shall be maintained.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Sir, in the answer itself, against item (i) it has been stated that the National Forest Policy of 1988 lays more emphasis on the conservation of forests. May I know from the honourable Minister as to what is the total coverage after laying down the National Forest Policy of 1988? What is the proportion of deforestation and afforestation? Similarly, is there any inclusion in the guidelines to conserve our national flora and fauna instead of just planting only eucalyptus, rain trees and other types of trees which may not survive in all the natural climatic conditions in different parts of the country? Secondly, it has been given that the import of timber will be liberalised and wood substitutes are being encouraged. May I know the quantity of timber wood that is imported in this country and the cost of its import? Is it not possible to develop the timber wood, which is the basic plant of the country? Instead of doing that we are importing it. What is the reason for that?

SHRI Z. R. ANSARI: Probably I could not in my reply explain the position clearly. Therefore, this misunderstanding has taken place. We are making all efforts to have some plantation programmes for meeting the needs of the people as far as fuel-wood, timber, fodder and other necessaries are concerned.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: This is necessary to maintain natural flora and fauna, which already existed in the country and it is being destroyed and particular types of trees are being planted.

SHRI Z. R. ANSARI: The natural flora and fauna can be maintained only if we can make necessary arrangements for meeting the primary needs of the people. Therefore, if along with the conservation strategy, needs of the people have got to be met by taking some plantation efforts or afforestation efforts in areas other

than the natural forest areas, we will be able to conserve our natural forest resources and flora and fauna.

As far as the import is concerned, in 1987-88, the import was to the tune of Rs. 320 crores, but I may point out here that we shall not feel shy to import more fuel or timber in order to save our natural forest reserve and flora and fauna.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: There is a provision in the Forest Conservation Act, 1980, for deforestation for the purpose of community by setting apart some equal extent of land for afforestation. The Government of Andhra Pradesh has come forward with some proposals to the Government of India requesting for deforestation of some areas for the purpose of constructing the projects and digging canals and laying roads, by setting apart equal amount of land for afforestation.

SHRI Z. R. ANSARI: This is another extreme of the question. One extreme is conserving every tree and every inch of our flora and fauna and the other extreme is to destroy the natural flora and fauna and make some artificial plantation. We are against this. (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: What is artificial plantation? ... (*Interruptons*)

SHRI Z. R. ANSARI: Hear my answer. This is not the way to interfere. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hear his reply patiently. Patience is most important in initial plantation.

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: On what account they are spending Rs. 400 crores per year? (*Interruptions*) That is stated in the Minister's statement.

SHRI Z. R. ANSARI: The hon. Member wanted to know about artificial afforestation. There is a difference between forests and plantation. Forests can only be developed by nature and it is the plantation which is man-made plantation, which is being done. (*Interruptions*) If the hon. Members are not interested to hear the reply... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him reply. Why do you interfere? (*Interruptions*)

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Sir, he has not replied to my supplementary.

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, it is very unfair. He has clearly delineated what is natural forest and what is plantation. (*Interruption*)

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: How can Mr. Salve answer?

SHRI PUTTAPAGA RADHAKRISHNA: Sir, my second supplementary was, what is the hitch for the Government of India in permitting the deforestation. (*Interruption*)

MR. CHAIRMAN: He heard you patiently. You hear him patiently.

SHRI Z. R. ANSARI: Sir, I just wanted to tell the hon. House that as far as the present Government is concerned, our strategy is quite clear. We are not going to remove the natural forest and take up plantation programme by human efforts. This is the one point which has been made by the hon. Member that the State Government has sent some proposal. I do not know about that proposal. But as far as our policy is concerned, our policy is quite clear. I just want to make one point. Probably, in the earlier question, the question was asked: what is the rate of deforestation and what is the rate of plantation which we are doing?

MR. CHAIRMAN: It is another supplementary..

SHRI Z. R. ANSARI: Sir, in earlier question... (*Interruption*)

श्रीमती शान्ति पहाड़िया : श्रीमन, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो पेड़ लगाए जाते हैं क्या उनके लिए कोई समय सीमा रखी जाती है कि इतने समय बाद काटे जाएं दूसरी बात यह है कि सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं या दूसरी जगह लगाए जाते हैं जहां कि बहुत जमीन खुली पड़ी है, वहां फलदार वृक्ष भी लगाए जाएं जिससे कि फल भी मिलें, लकड़ी भी मिले और छाया भी मिले । तो क्या मंत्री जी पेड़ों की समय सीमा के बारे में ख्याल रखेंगे क्योंकि उतने लगाए नहीं जाते जितने कि काटे जाते हैं । वे बेचारे बड़े भी नहीं हो पाते ।

श्री जैड० आर० अन्सारी : सर यही एक जवाब है जो मैं देना चाहता हूं । जहां तक हमारे पास इनफार्मेशन है, उसके अनुसार डि-फारेस्टेशन का रेट 1.3 मिलियन हैक्टेयर एवरी इयर है और एफारेस्टेशन का 2 मिलियन हैक्टेयर एवरी इयर की हमारी उपलब्धि है । दूसरे जहां तक माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि उस प्लांटेशन में फलदार वृक्षों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए । मैं बताना चाहूंगा कि हमने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं । एक डिसीजन यह है कि हमने एक तरह के वृक्ष लगाने को रोका है, मना किया है और जो वेस्ट लैंड डवलपमेंट का कार्य है जिसमें कि मेनली एफारेस्टेशन का कार्य करना है, उसमें हम लोकल पापुलेशन को कंसल्ट करते हैं कि कितने फोडर की जरूरत होगी, कितनी टिम्बर की जरूरत है और कितनी फ्यूल वुड की जरूरत है । अलग-अलग किस्मों के वृक्ष लगाए जाएं जिससे कि उससे लोकल कम्यूनिटी फायदा उठा सके, इस बात का हम ध्यान रखते हैं ।

MR. CHAIRMAN: Question No. 150. (*Interruptions*)

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: I have raised my hand for long. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No, the Question Hour is not a special mention hour. ...(*Interruption*)... This is my discretion. I have got a list. You cannot question my authority.

SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: I am not questioning your authority.

MR. CHAIRMAN: That is all. I have called the next question.

श्री राम चन्द्र विकल : सभापति महोदय हम शुरू में हाथ उठाते हैं, लेकिन आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं । मुझे चार दिन हो गए हाथ उठाते हुए, आप देखते नहीं हैं ।

ठाकुर जगतपाल सिंह : बैठ जाइए विकल जी ।

मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सहायता

*150. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :†

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1989–90 और 1990–91 के दौरान मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना के अंतर्गत कोई नये क्षेत्र शामिल करने का विचार रखती हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है या दी जायेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य सरकारों से वर्ष 1989–90 और 1990–91 के दौरान कार्यक्रम

†सभा में यह प्रश्न ठाकुर जगतपाल सिंह द्वारा पूछा गया ।